कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा (राज.)

क्रमांकः स्था. / 2014 / 124 दिनांकः 15.07.2014

:: विज्ञप्ति ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के सरकूलर नम्बर 09 / पीआई / 2014 दिनांक 24.06. 2014 के निर्देशानुसार दौसा न्यायक्षेत्र के रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों पर नियमानुसार भर्ती की जानी है। दौसा जिला न्यायक्षेत्र में वर्तमान में अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 28 पद रिक्त हैं, जिनमें से चार पद अनुसूचित जाति, चार पद अनुसूचित जन जाति, छः पद अन्य पिछड़ा वर्ग व चौदह पद सामान्य वर्ग के हैं । रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक कारणों से एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तर जिला स्थानान्तरण किये जाने के फलस्वरूप घटाई–बढाई जा सकती हैं । निःशक्तजन व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा । उक्त रिक्त पदों हेतु रनिंग पे बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड पे 1700 / – रूपये प्रतिमाह में, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना F-14(1)F.D. (Rules)/2013-II जयपुर, दिनांकः 28.06.2013 के अनुसार दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400 / – रूपये प्रतिमाह (प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत पारिश्रमिक पर उक्त रिक्त पदों पर भर्ती / नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

01. राष्ट्रीयता :–

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो ।

02. आयु :–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाओं, विधवाओं, निःशक्तजन एवं अन्य आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

03. शैक्षणिक योग्यता :–

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

04. शारीरिक योग्यता :–

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो । नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

05. पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.15(7)एफ.डी.(रूल्स) / 97 दिनांकः 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(8)एफ.डी.(रूल्स) / 05 दिनांकः 13.03.06 के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेण्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होंगे ।

06. पात्रता एवं चरित्र :–

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं छः माह से अधिक पुराने नहीं हों, भी आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछडा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

07. आवेदन–पत्र की अन्तिम तिथि :–

आवेदन–पत्र दिनांक **07 अगस्त–2014 को सांय 5.00** बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए । उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र, वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों, आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी ।

08. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान/बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है वहाँ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक ईकाई समझा जायेगा ।

08 ए. नियुक्ति के लिये निरर्हता :–

1– कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे

2– कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

09. विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन–पत्र में अपने पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करेंगे तथा जिन आशार्थियों का विवाह 22.05.06 या उसके पश्चात हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत करें तथा दिनांक 22.05.06 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित आशार्थी संलग्न प्रारूप में (जो भी लागू हो) शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

10. प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ–पत्र में प्रस्तुत करेगा ।

11. साक्षात्कार :–

आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाए जावेंगे, उनकी सूची दिनांक **18.08.2014** को इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी । इस साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए आवेदकों का **साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को तथा यदि आवश्यकता रही तो दिनांक 14.09.2014 को प्रातः 10.00 ए.एम बजे से जिला न्यायालय परिसर, दौसा में लिया जावेगा ।** उक्त दिवसों को सभी आवेदकों के साक्षात्कार पूर्ण न होने की स्थिति में शेष रहे आवेदकों के साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को उक्त स्थान पर ही लिया जावेगा जिसकी सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी। किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु यात्रा–भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा । आवेदक ने जिन प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन के साथ संलग्न की हैं, उनके मूल प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवें।

12. आवेदन–पत्र :–

अभ्यर्थी को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन–पत्र अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम का उल्लेख हो तथा नियोजन कार्यालय का पंजीयन कमांक व वैधता की अवधि अंकित हो । प्रार्थना–पत्र पर अपना स्वयं का हस्ताक्षरित फोटोग्राफ, जो सत्यापित हो, चस्पा किया जावे । प्रार्थना–पत्र के अन्त में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए । यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका प्रार्थना–पत्र में उल्लेख करें । राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रेषित करें । अपूर्ण प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसकी कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी । अभ्यर्थी प्रार्थना–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें :–

13. आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें :–

1. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति ।
2. आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति ।
3. शिक्षण संस्थान, जिसमें नियमित रूप से अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, के शाला प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
4. अन्य दो मूल चरित्र प्रमाण–पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हो और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिये गये हों ।
5. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो जो सत्यापित हो
6. आरक्षण हेतु जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति
7. सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष से स्वीकृति पत्र संलग्न करें या आवेदन–पत्र अग्रेषित कराकर प्रेषित करें।

8. यदि आवेदक अविवाहित है या उसका विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है तो उसे इस आशय का शपथ–पत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर, नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर संलग्न करना होगा। जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05.2006 को या इसके बाद हुआ है, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी या विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
9. आवेदक 10/– रूपये के नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ निर्धारित प्रारूप में सन्तान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
10. विवाहित आवेदक दहेज नहीं लेने सम्बन्धी घोषणा–पत्र आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
11. जो आवेदक उक्त पद पर चयन हेतु भर्ती समिति/बोर्ड को प्रभावित कराने का प्रयास करेगें, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
12. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति।
13 राज0 सरकार कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.10.2013 की पालना में धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के सम्बन्ध मे संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता (Undertaking) संलग्न करें।

नोटः–उपरोक्त भर्ती के सम्बन्ध में परीक्षा स्थल व अन्य उपयुक्त सूचनाऐं बेबसाईट http://ecourts.gov.in/Dausa एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी तथा समस्त जानकारी प्राप्त करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। भर्ती कार्यकम एवं परिणाम की विभिन्न तारीखों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी जिसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नही की जावेगी।

Sd/-
अध्यक्ष
(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति)
जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा

कमांकः 2829 दिनांकः 15.07.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर/जोधपुर
3. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
5. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, दौसा न्यायक्षैत्र
6. जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला नियोजन अधिकारी/सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, दौसा
7. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, दौसा
8. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय दौसा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

15-7-14
अध्यक्ष
(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति)
जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप
दौसा जिला न्यायक्षेत्र

आवेदक अपना हस्ताक्षरित व प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो लगाएँ

1.	नाम	: ....
2.	पिता / पति का नाम	: ....
3.	जन्म तिथि	: ....
4.	राष्ट्रीयता	: ....
5.	जाति	: ....
6.	आरक्षित वर्ग	: ....
7.	स्थाई पता	: ....
8.	वर्तमान पता व मोबाईल नं0	: ....
9.	नियोजन कार्यालय का पंजीयन कमांक व वैधता अवधि	: ....
10.	शैक्षणिक योग्यताऐं	: 1. .... 2. ....
11.	विवाहित / अविवाहित	: ....
12.	दिनांक 01.01.2015 को आयु	: वर्ष .... माह .... दिन ....
13.	अन्य कोई अनुभव / योग्यता	: ....
14.	वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो पद / सेवा की अवधि / पदनाम	: ....

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर प्रार्थी

संलग्न दस्तावेजात की सूची :–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

:: दोष सिद्धि नहीं होने का शपथ–पत्र :: (10/– रु0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..

उम्र .... वर्ष जाति..निवासी ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे खिलाफ कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं..सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि शपथ–पत्र में अंकित उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं । ईश्वर मेरा साक्षी है ।

स्थान :

दिनांक: हस्ताक्षर शपथकर्ता

:: विवाह में दहेज नहीं लेने का शपथ–पत्र :: (10/– रु0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..पुत्र श्री..

उम्र .... वर्ष जाति..निवासी ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने विवाह में किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की है ।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं..सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र में अंकित उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है । ईश्वर मेरा साक्षी है ।

स्थान :

दिनांक: हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>संतान संबंधी घोषणा का शपथ–पत्र</u> (10/– रु0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..

निवासी...यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..निवासी...यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

स्थानः शपथग्रहिता

दिनांक :–

सत्यापन

मैं, ..., उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थानः शपथग्रहिता

दिनांक :–

शपथपत्र

मैं..पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी...यह घोषणा करता/करती हूँ मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ सम्पन्न हुआ था। परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण दिनांक 22.05.2006 को लागू होने से पूर्व दिनांक ....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं ....अविवाहित हूँ।

या

मैं....................................विधुर/विधवा हूँ(पत्नी/पति श्री /श्रीमती..............................)

या

मैं ....तलाकशुदा हूँ।(प्रमाण पत्र संलग्न है)**या**

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री... के साथ दिनांक.........................को सम्पन्न हुआ था।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं, ..., उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथग्रहिता

स्थानः
दिनांक :—

धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के सम्बन्ध में प्रपत्र

—: वचनबंध प्रपत्र :—

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..

निवासी...

वचनबद्ध हूं कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करता हूं/करती हूं।

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता